

शाब्दिक/भाषा अधिगम

Concept :-

व्यक्ति में भाषा अधिगम से तात्पर्य एक ऐसी क्षमता से होती है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भाव-विचारों तथा इच्छाओं को दूसरे तक सूचित करता है या पहुँचाता है। तथा दूसरे के भावों तथा इच्छाओं को ग्रहण करता है, भाषा में कई तरह के संचार हो सकते हैं। जैसे मौखिक संचार, मुद्राकृति, आंगिक संचार, लिखित संचार, कला आदि। उदाहरण स्वरूप कविता थाद करना, शब्दावली सीखना, कहानी थाद करना इत्यादि।

\* शैशवारूपा और भाषा अधिगम (0-5) :-

शिशु जब जन्म लेता है उसी समय उसके रोने की हवनि भाषा अधिगम का प्रथम सीखना होता है। धीरे-धीरे शिशु बड़ा होता है और लगभग 4 माह की अवस्था में वह अधिकांश स्वरों को उच्चारित करने का प्रयत्न करने लगता है, साथ ही वह शुद्ध व्यंजकों को 'दा', 'वा', 'पा', 'जा' आदि को भी बोलने का प्रयत्न करने लगता है। इस अवस्था में शिशु एक शब्द को बार-बार उच्चारित करता है उसे सुन कर अपने-आप कहे गये शब्दों को पुहराने लगता है।

इस प्रकार शिशु की अवस्था में जैसे-जैसे वृद्धि होती जाती है वैसे-वैसे उसमें भाषाओं का अधिगम बढ़ता जाता है। साथ ही पुनर्वसन की क्रिया शिशु की भाषाएँ अधिगम की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

इस तरह 'स्मिथ' ने शैशवारूपा में भाषा अधिगम के क्रम का परिणाम इस प्रकार व्यक्त किया गया है।

भाषा अधिगम की प्रगति

आयु (माह/वर्ष में)		शब्द
जन्म से	8 माह	एक
8 माह से	1 वर्ष	तीन शब्द
1 वर्ष से	2 वर्ष	118
2 वर्ष से	3 वर्ष	272
3 वर्ष से	4 वर्ष	1550
4 वर्ष से	5 वर्ष	2072
5 वर्ष से	6 वर्ष	2562

2

शिशु की भाषा पर उसकी बुद्धि तथा विद्यालय का वातावरण भी अपनी भूमिका प्रस्तुत करती है। 'रुमॉस्टमी' ने कहा है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की भाषा अधिगम शैशवावस्था में अधिक होता है। जिन में गुंगापन, हकलाना, तुतलना आदि दोष होते हैं उनकी भाषा अधिगम धीमी गति से होती है।

बाल्यावस्था एवं भाषा अधिगम :-

बालक इस आयु में आश्चर्यजनक रूप से तीव्र गति से वाक्यों की संरचना एवं शुद्ध वाक्यों के निर्माण का कार्य करता है। यह प्रक्रिया लगभग सभी भाषा भाषी बालकों में समान गति से चलती है इस आयु में बालक के शब्दों भण्डार में शैशवावस्था के बालक की अपेक्षा 100 गुणा शब्दों का वृद्धि हो जाती है। एवम् वे जटिल वाक्यों के निर्माण में रुची लेने लगते हैं। इस समय तक वे नाकारत्मक वाक्य दो-तीन वाक्यों की एक साथ जोड़कर लम्बे वाक्य आदि निर्मित करने में रुचि लेने लगते हैं। विद्यालय प्रवेश करने के उपरान्त बालक वाक्य विन्यास एवं व्याकरण आदि के प्रयोग में समान्यता वही के समान ही क्षमता अर्जित कर लेते हैं।

इस तरह 'सीशोर' ने बाल्यावस्था में भाषा अधिगम के क्रम का परिणाम इस तरह व्यक्त किया है।

\* सीशोर के अनुसार भाषा अधिगम \*

आयु (वर्ष में)	शब्द (हजार में)
5 से 6	5600
6 से 7	9600
7 से 8	14700
8 से 9	21000
9 से 10	26300
10 से 12	34300

भाषा अधिगम में समुदाय, बर-परिवार, विद्यालय, परिवार की आर्थिक स्थिति, सामाजिक परिस्थिति का प्रभाव अव्यधिक पड़ता है।

\* किशोरवस्था एवं भाषा अधिगम :-

किशोरवस्था में अनेक शारीरिक परिवर्तनों से संतुलन उत्पन्न होते हैं, भाषा का अधिगम भी उनसे प्रभावित होती है। इस अवस्था में किशोरों को साहित्य पढ़ने की रुचि होती है। उनमें कल्पना शक्ति का विकास होने से वे कवि, कहानिकार, चित्रकार बनकर कविता-कहानी तथा चित्र के माध्यम से अपनी भावनाओं का उच्चिक्र अभिव्यक्त करते हैं। किशोरवस्था में लिखे गये प्रेम-पत्रों की भाषा में भावुकता का मिश्रण होने से भाषा के सन्दर्भ प्रसफूर्तित होते हैं, किशोरवस्था का शब्दकोश भी विस्तृत होता जाता है। किशोर भाषा की न केवल लिखकर, अपितु बोलकर एवं उसमें नाटकीय तत्व उत्पन्न करके भाषा के अधिगम को प्रकट करता है। भाषा के अधिगम पर किशोर के चिंतन का भी प्रभावप्रकृतता है। भाषा अधिगम में कुछ कारक हैं जैसे - परिपक्वता, बुद्धि, शारीरिक स्थिति, वातावरण आदि भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

\* भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक (Factor<sup>ए</sup> Effective Language Learning)

बालक का भाषा अधिगम जन्म से लेकर क्रमशः सभी आयु में होता है यहाँ कुछ प्रमुख कारकों जिससे भाषा अधिगम प्रभावित होता है जो निम्नलिखित हैं।

① शारीरिक स्वास्थ्य :-

अन्य सभी अधिगमों की तरह बालक का भाषा अधिगम भी शारीरिक स्वास्थ्य से प्रभावित होता है।

शैशवावस्था में बीमार रहने से बच्चे का भाषा अधिगम बाधित होता है।

② बुद्धि :-

बालक का भाषा अधिगम उसकी बुद्धि स्तर से भी प्रभावित होता है। तीव्र बुद्धि वाले बालक सामान्य बालक से चार मास पहले बोलना आरंभ कर देते हैं, जबकि मंद बुद्धि वाले सामान्य से तीन वर्ष बाद बोलना प्रारंभ करते हैं।

③ लिंग :-

अनेक उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि बच्चों का भाषा अधिगम लिंग से प्रभावित होता है, लड़कियाँ लड़कों से शीघ्र बोलना सीखती हैं उनका शब्द भण्डार लड़कों की तुलना में अधिक और

4

विस्तृत होता है।

④ अनुकरण :-

बालक अनुकरण से भाषा सीखते हैं उसके परिवारिजन तथा समाज के अन्य लोग जिस प्रकार से बोलते हैं बालक भी उसी प्रकार ही भाषा बोलना सीखता है।

⑤ पारिवारिक संबंध :-

पारिवारिक संबंध भी बालक की भाषा अधिगम को प्रभावित करता है मनोवैज्ञानिक ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध किया है कि अनाथालय में पले बच्चों का भाषा अधिगम समान्य बच्चों से कम होता है क्योंकि उन्हें माता-पिता से अनुकरण का अवसर नहीं मिल पाता है।

⑥ समाजिक आर्थिक स्थिति :-

अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि उच्च समाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चों का भाषा अधिगम जल्द होता है। -क्योंकि कुछ परिवार में सम्प्रेषण के लिए प्रमुक्त शब्दावली निम्न परिवार से अच्छी और समृद्ध होती है।

⑦ प्रेरणा :-

प्रेरणा से बालक का भाषा अधिगम प्रभावित होता है अगर बच्चों की आवश्यकताएँ बिना बोले की पूरी हो जाय तो इससे उसका भाषा अधिगम प्रभावित होती है।

⑧ विदेशी-भाषा :-

बालक का उचित भाषा अधिगम उसकी मातृभाषा में शीघ्र और उत्तम ढंग से हो जाता है जबकि शैशवारुधा में उसे अन्य भाषा भी सीखाने का प्रयास किया जाय तो इससे बालक कोई भी भाषा ठीक से नहीं सीख पाता है क्योंकि दोनों भाषा उसे भ्रमित कर देती हैं।

⑨ संवहृता :-

बालक संवहृता से विभिन्न शब्दों से को सीखते हैं जैसे - अगर उसे नाना, दादा या चाचा सीखा दिया जाता है तो उस तरह से ही सभी व्यक्ति को नाना या दादा अथवा चाचा बोलता है।

\* भाषा अधिगम के सिद्धान्त :-

है।

भाषा अधिगम के सिद्धान्त निम्नलिखित

① स्वभाविकता का सिद्धान्त :-

प्रत्येक विषय-वस्तु के शिष्टण का निश्चित उद्देश्य होता है, इनका ज्ञान छात्रों और शिक्षक का होना अतिआवश्यक है। सीखना एक जन्मजात प्रवृत्ति है तथा भाषा अर्पित ज्ञान अतः भाषा के सभी कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना चिंतन को स्वभाविक रूप से सीखना चाहिए कि छात्र स्वयं भाषा के प्रति आकर्षित हो, उसे सीखने का प्रयास कहते हैं।

② क्रियाशीलता एवं अभ्यास का सिद्धान्त :-

बालक में कुछ आंतरिक शक्तियाँ निहित होती हैं जो उन्हें स्वभाव से कार्य करने उसके लिए प्रेरित करती हैं। छात्रों द्वारा स्वक्रिया से अर्पित ज्ञान स्थायी होता है अतः शिक्षक को चाहिए कि वह अपने छात्रों को स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित करे। भाषा एक विज्ञान की अपेक्षा कला है जिसे निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है।

③ रुचि का सिद्धान्त :-

यह मनोवैज्ञानिक का सिद्धान्त है कि जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है उसे वह शीघ्रता से सही ढंग से सीखता है। शिक्षक में भाषा के प्रति रुचि होनी चाहिए, तभी वह छात्रों में रुचि उत्पन्न कर सकता है।

④ मौखिक कार्य का सिद्धान्त :-

किसी भी भाषा को सीखने के लिए चार प्रकार के कौशल होते हैं - ① सुनना, ② बोलना ③ पढ़ना ④ लिखना की आवश्यकता होती है, इनमें सुनना सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रारंभ में बालक अनुकरण द्वारा सीखता है। अतः भाषा का ज्ञान देने समय पहले मौखिक, फिर लिखित कार्य पर बल देना चाहिए।


⑤ व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धान्त :-

मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक बालक में योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, भ्रमता, संकेत अलग-अलग होते हैं; प्रत्येक छात्र एक-दूसरे से भिन्न होता है कक्षा में प्रतिभाशाली, समान्य, तथा मंदबुद्धि तीनों प्रकार के छात्र होते हैं।

ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि वह जहाँ मन्दबुद्धि वाले बालकों से सहानुभूति पूर्ण व्यवहार करे वही प्रतिभाशाली बच्चों का भी उचित मार्ग दर्शन करे।

### ⑥ अनुपात तथा क्रम सिद्धान्त :-

भाषा शिक्षण के मोंते-तौर पर तीन उद्देश्य ग्रहण, अभिव्यक्ति तथा सृजनात्मकता होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार शिक्षण के सभी उद्देश्य को एक अनुपात में रखा जाय जिससे छात्र सभी पक्षों का ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार सभी शिक्षण विषय में निम्नलिखित क्रम अपनाया अधिक प्रतीत होता है-



### ⑦ नियोजन का सिद्धान्त :-

विषय-वस्तु शिक्षण से पूर्व शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पाठ-योजना बना ले इसमें तीन बातों को ध्यान रखना चाहिए। ① चयन ② विभाजन ③ अभ्यास

विषय-वस्तु चयन के उपरान्त यह आवश्यक है कि शिक्षण सूत्रों के अनुसार एक क्रम में विभाजित कर लिया जाय, तथा समाग्री को क्रम पढ़ाना है यह तय कर लिया जाय।

### ⑧ जीवन से संबंध का सिद्धान्त :-

ज्ञान को स्थायी बनाने और रुचि जागरित जाग्रित करने के लिए पढ़ते समय विषय-वस्तु को जीवन से संबंधित करना चाहिए। इससे छात्र सरलता से सीख भी लेंगा तथा उस विषय-वस्तु का अपने जीवन में भी उपयोग करेगा।

### ⑨ प्रेरणा का सिद्धान्त :-

प्रेरणा एक ऐसा तत्व है जो सीखने वाले में सीखने के प्रति एक अतिरिक्त उर्जा उत्पन्न कर देता है। तथा वह स्वयं कार्य करने में संलग्न हो जाता है इस प्रकार विषय भाषा और साहित्य के महापुरुषों के गुणों के वर्णन द्वारा छात्रों को प्रेरित किया जा सकता है।

\* शाब्दिक अधिगम में शिक्षण सूत्र (Teaching Maximum in Verbal Learning) :-

मनोवैज्ञानिक ने अपने अनुभवों के आधार पर शिक्षण के कुछ शाब्दिक रूपों में सामान्य नियम प्रतिपादित, जिससे शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। जो निम्न प्रकार हैं-

① पूर्ण से अंश की ओर (From whole to part) :-

इस नियम के अनुसार छात्रों को जो विषय-वस्तु पढ़ानी है सर्वप्रथम इसका पूर्ण रूप प्रस्तुत करते हैं फिर उसे छोटे-छोटे अंशों में विभक्त करके स्पष्ट करते हैं।

② अनिश्चित से निश्चित की ओर (From Indefinite to definite)

इस सूत्र का उद्देश्य है छात्र के अनिश्चित ज्ञान को सुनिश्चित करना है, प्रारंभिक स्तर पर छात्रों को पहले शाब्दिक रूपों से विषय-वस्तु कंठस्थ करायी जाती है उसके बाद कंठस्थ ही गई वस्तु के ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए उसकी संरचना का ज्ञान करवाया जाता है।

③ विश्लेषण से संश्लेषण की ओर (From Induction to Deduction)

इस सूत्र के अनुसार विषय-वस्तु को पढ़ते समय व्याकरण नियमों, तथ्यों, सूत्रों और सिद्धान्त का विश्लेषण किया जाता है, इसके बाद संश्लेषण द्वारा पूर्ण ज्ञान देते हैं।

④ ज्ञात से अज्ञात की ओर (From Known to unknown)

इस सूत्र के अनुसार विषय-वस्तु में पाठ प्रारंभ करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि वह जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पर छात्र शाब्दिक रूप में क्या जानता है? अर्थात् उनका पूर्व ज्ञान क्या है? इस प्रकार पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करते हुए शिक्षण कार्य शुरू करेंगे।

⑤ सरल से कठिन की ओर (From Simple to Complex)

इसमें विषय-वस्तु सरल होती है या उससे संबंधित तथ्य सरल होती है अतः सरल भाग पहले पढ़ाना चाहिए, उसके बाद धीरे-धीरे कठिन शब्द या पाठ बताना चाहिए।

8

⑥ आगमन से निगमन की ओर (From Induction to Deduction)

विषय शिक्षण में यह नियम अत्यन्त उपयोगी है, इसके अनुसार तथ्यों को छात्रों तक सम्प्रेषित करने के लिए पहले उदाहरण बताते हैं फिर उदाहरण के द्वारा नियम स्थापित करते हैं। व्याकरण की शिक्षण में यह सूत्र अधिक लाभदायक होता है।

⑦ अनुभव से तर्क की ओर (From Empirical to Rational)

शिक्षक को चाहिए वह छात्रों को उनके अनुभव के आधार पर ज्ञान में तथा उसे तर्क संगत बनाकर स्थायित्व प्रदान करें।

⑧ विशेष से समान्य की ओर (From Particular to General)

इस सूत्र के अनुसार छात्रों के समस्त तथ्यों, घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत करता है और स्पष्टीकरण देता है बाद में छात्रों की समान्य निष्कर्ष निकालने को कहता है।